आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा
(202-206)

न्यायमूर्ति एएल बाहरी और *न्यायमूर्ति* एचएस बेदी के समक्ष

मोहन लाल, - अपीलकर्ता।

बनाम

भारत संघ,-प्रतिवादी।

1986 की नियमित प्रथम अपील संख्या 469

4 सितंबर 1991.

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985- धारा *29-ए*-का दायरा-अधिनियम के प्रवर्तन से पहले दायर की गई अपील-ऐसी अपील-क्या न्यायाधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी है।

यह अभिनिर्णित किया गया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 29-ए का अवलोकन हाथ में लिए गए मामले को कवर नहीं करेगा। मुकदमे को ट्रायल कोर्ट ने 30 जुलाई, 1985 को यानी ट्रिब्यूनल की स्थापना से पहले खारिज कर दिया था । उपरोक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील करने का समय ट्रिब्यूनल की स्थापना से पहले समाप्त नहीं हुआ था , निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन 3 अगस्त,1985 को दायर किया गया था और वे 27 सितंबर, 1985 को डिलीवरी के लिए तैयार थे। इस प्रकार, 10 दिसंबर, 1985 को दायर की गई अपील समय के भीतर थी। 1 नवंबर 1985 को हालांकि सीमा समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर नहीं की जा सकी क्योंकि धारा 29-ए 22 जनवरी 1986 को लागू हुआ था, इसे 1986 के अधिनियम 19 द्वारा सन्निविष्ट किया गया था । उस समय अपील पहले ही उच्च न्यायालय में दायर की जा चुकी थी, जिसके पास इस पर विचार करने का क्षेत्राधिकार था। ऐसी अपील को अधिनियम की धारा 29 के तहत ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 4)

श्री जगरूण सिंह, आर.सी.एस. उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी के न्यायालय के आदेश से नियमित प्रथम अपील। चंडीगढ़, दिनांक *30* जुलाई, 1985। वादी का वाद लागत सहित खारिज करना।

दावा:– यह वर्तमान सिविल मुकदमा दायर करने की तारीख से पहले पिछले तीन वर्षों के वेतन के बकाया की *25,000* आर.डब्ल्यू. डब्ल्यू.सी.-एन.एम.टी. की राशि की *वसूली* के लिए है।

अपील में दावा:- निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

श्री एके मितल और श्री जीएस संधवालिया, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

से **श्री** ए.एस. तेवतिया, प्रतिवादी के अधिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति ए. एल. बहरी,

(1) प्रथम अपील को 27 मई, 1987 के आदेश के तहत डिवीजन बेंच में स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 29-ए के प्रावधानों के मद्देनजर इसकी स्थिरता के संबंध में आपत्ति जताई गई थी ।

(2) मोहन लाल आयुध केबल फैक्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़ में मैकेनिस्ट के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने विदेश जाने की अनुमति के साथ 2 अगस्त 1976 से 31 अक्टूबर 1976 की अवधि के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था। छुट्टी समाप्त होने के बाद वह वापस नहीं लौट सके और उन्होंने विस्तार के लिए आवेदन किया था। इस बीच, 19 जनवरी, 1976 को उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया। इसके बाद 31 दिसंबर, 1976 को एक पक्षीय जांच और आदेश जारी

किया गया, जिसके तहत उन्हें सेवा से हटा दिया गया। उन्होंने 3 अप्रैल, 1984 को 25,000 रुपये की 3 साल की अवधि की मजदूरी की वसूली का दावा करते हुए वर्तमान मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे के प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर विरोध किया गया था कि यह समय से बाधित था और कार्रवाई के कारणों का गलत संयोजन किया गया था। वादी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश कानूनी और वैध था और इस प्रकार वादी 25,000 रुपये के बकाया वेतन का हकदार नहीं था। निम्नलिखित मुद्दों को हमने उपरोक्त दलीलों पर तैयार किया है: -

1. क्या 31 दिसम्बर 1976 को पारित वादी को सेवा से हटाने का आदेश अवैध, अमान्य तथा वादी पर बाध्यकारी नहीं है ? ओ.पी.पी.

2. क्या वाद समय से वर्जित है? ओ.पी.डी.

3. क्या कार्रवाई के कारणों की गलत व्याख्या के लिए मुकदमा बुरा है? ओ.पी.डी.

4. क्या वादी रुपये की वसूली का हकदार है? वेतन का बकाया 25,000? ओ.पी.पी.

5. राहत।

ट्रायल कोर्ट ने 30 जुलाई, 1985 को यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि वादी की सेवाएं समाप्त करने का आदेश वैध था। मुकदमा समय-बाधित था, यह कार्रवाई के कारणों के गलत संयोजन के लिए बुरा नहीं था और वादी दावा की गई राशि की वसूली का हकदार नहीं था। 10 दिसंबर 1985 को उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई ।

(3) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985-27 फरवरी, 1985 को लागू हुआ। हालाँकि, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 1 नवंबर, 1985 को स्थापित किया गया था। धारा 29-ए ,22 जनवरी, 1986 को जोड़ी गई थी और इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"29-ए. कतिपय अपीलें दाखिल करने के लिए प्रावधान-जहां ट्रिब्यूनल की स्थापना से पहले किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में किसी भी अदालत (उच्च न्यायालय के अलावा) द्वारा कोई डिक्री या आदेश दिया गया है या पारित किया गया है, जो एक मुकदमा या कार्यवाही का कारण इस प्रकार आधारित है कि यदि यह ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद उत्पन्न हुआ होता, तो ऐसे न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर होता, और इस तरह की डिक्री या आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल की स्थापना से पहले कोई अपील नहीं की गई है और किसी भी लागू परिसीमन कानून के तहत ऐसी अपील करने की सीमा अवधि ऐसी स्थापना से पहले समाप्त नहीं हुई है, ऐसी अपील होगी-

एफ ए) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को, प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1986 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर , या ऐसे डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर , जो भी बाद में हो, या

(बी) किसी अन्य न्यायाधिकरण को, इसकी स्थापना से नब्बे दिनों के भीतर या ऐसे डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो।
"

(4) अधिनियम लागू होने पर वर्तमान अपील लंबित नहीं थी और इसे अधिनियम की धारा 29 के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित नहीं किया जाना था। ऊपर प्रस्तुत धारा 29-ए का अवलोकन मौजूदा मामले को कवर नहीं करेगा। ट्रायल कोर्ट ने 30 जुलाई 1985 यानी ट्रिब्यूनल की स्थापना से पहले ही मुकदमा खारिज कर दिया था । उपरोक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील करने का समय ट्रिब्यूनल की स्थापना से पहले समाप्त नहीं हुआ था। धारा 29-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए उप खंड (ए) के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, सब जज ने 30

जुलाई, 1985 को मुकदमा खारिज कर दिया था । फैसले और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन 3 अगस्त, 1985 को दायर किया गया था और वे 27 सितंबर, 1985 को डिलीवरी के लिए तैयार थे। इस प्रकार 10 दिसंबर, 1985 को दायर की गई अपील ,समय के भीतर दायर की गई थी । 1 नवंबर, 1985 को हालांकि सीमा अवधि समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर नहीं की जा सकी क्योंकि धारा **29-ए ,** 1986 के अधिनियम 19 द्वारा 22 जनवरी, 1986 को लागू हुई थी **।** 22 जनवरी, 1986 तक अपील पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हो चुकी थी, जिसके पास इस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था**।** अधिनियम की धारा 29 के तहत ऐसी अपील को ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर अपील का निपटारा करने का अधिकार है।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विवाद्यक संख्या 1 और 3 पर निष्कर्षों को चुनौती दी है। विवाद्यक संख्या 4 पर निष्कर्ष ,विवाद्यक संख्या 1 पर निर्णय का पालन करेंगे। चूंकि वादी की सेवाएं समाप्त करने का आदेश 31 दिसंबर ,1976 को पारित किया गया था और वर्तमान मुकदमा 3 अप्रैल 1984 को दायर किया गया था, यह स्पष्ट रूप से समय से बाधित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि चूँकि वादी की सेवा समाप्ति का आदेश अवैध है, परिसीमा अवधि प्रारंभ नहीं होगी । इस तर्क के समर्थन में , ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम सैयद कमरअली*** [1]मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है । उस मामले में, पुलिस विनियमों के पैरा 241 के उल्लंघन में पारित आदेश को शून्य माना गया था। फैसले के अवलोकन पर यह पाया गया कि पुलिस अधिकारी को आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिए जाने के बाद, उसे विभागीय रूप से दंडित नहीं किया जा सकता था। विनियमन उस अपराध के लिए विभागीय दंड पर रोक लगाता है जिसके लिए एक अधिकारी को सक्षम न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। यह ऐसी परिस्थितियों में बर्खास्तगी का आदेश पारित करने के लिए संबंधित

1 1967 एस.एल.आर. 228 टी

प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। प्रत्येक आदेश जो अवैध, ग़लत या अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध है, हमेशा अधिकार क्षेत्र से रहित नहीं होता है। सीमा अवधि के भीतर उचित मंच पर चुनौती देकर ऐसे अवैध और गलत आदेशों से बचा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में वादी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश उस प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था जिसके पास इसे पारित करने का अधिकार क्षेत्र है और इसे क्षेत्राधिकार से संबंधित किसी भी कानून के उल्लंघन में पारित नहीं किया गया है । यह तर्क दिया गया कि उस अवधि के लिए छुट्टी स्वीकृत की गई थी जिसे आरोप पत्र के लिए आधार बनाया गया था जिसकी कानून द्वारा अनुमति नहीं थी। प्रस्तुत साक्ष्यों पर पाए गए तथ्यों के आधार पर, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मोहन लाल पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में पेश हुए और जिरह के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें विभाग से एक टेलीग्राम मिला है जिसमें बताया गया है कि उनकी स्वीकृत छुट्टी रद्द कर दी गई है और उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए। किसी भी कारण से, वादी इस तथ्य के बावजूद ड्यूटी से अनुपस्थित रहा कि उसकी छुट्टी रद्द करने का आदेश उसे सूचित किया गया था । उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उन्हें सूचित किया गया था कि उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं । उसकी अनुपस्थिति को कदाचार के रूप में माना जा सकता है जिसके लिए उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। डी.डब्ल्यू .1 बलवंत राय, पर्यवेक्षक, ऑर्डनेंस केबल फैक्ट्री के बयान का संदर्भ दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि छुट्टी पहले स्वीकृत की गई थी लेकिन बाद में रद्द कर दी गई, इससे वादी-अपीलकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी ।

(6) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वादी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर की गई जांच नैसर्गिक न्याय के नियमों के अनुरूप नहीं थी।वादी सऊदी अरब में था और उसे पूछताछ के बारे में सूचित नहीं किया गया था । जांच करने वाले आयुध केबल फैक्ट्री के उप

महाप्रबंधक डी.डब्ल्यू .2 बलबीर सिंह के साक्ष्य को देखते हुए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनके साक्ष्य के अनुसार, वादी को सऊदी अरब में उनके द्वारा दिये गये पते पर आवश्यक जानकारी भेज दी गई थी। उनके साक्ष्य से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि की गई जांच ख़राब हुई हो।

(7)अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, वादी अपनी छुट्टी रद्द करने का टेलीग्राम प्राप्त होने के बाद ड्यूटी पर लौटने के लिए भारत लौटने में असमर्थ था। 15/16 दिसंबर, 1976 को वह भारत आए और बाद में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कार्यालय गए, तभी उन्हें उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश के बारे में सूचित किया गया। जांच के दौरान कदाचार के सबूत पर दंड प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश को कम करने के मामले में जाना इस अदालत का काम नहीं है। मुद्दा संख्या 1 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की पुष्टि यह मानते हुए की गई है कि वादी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश वैध था। वाद संख्या 2 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की भी पुष्टि की गई है कि वर्तमान मुकदमा समय से बाधित है। वादी किसी भी राशि की वसूली का हकदार नहीं है। वाद संख्या 4 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की भी पुष्टि की जाती है।

(8) ऊपर बताए गए कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिकऔर आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा
(202-206)

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh